बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 124 / 2018– 1164

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना–14, दिनांक– 18 / 12 / 2019

विषय : 400 के०वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी–मोतिहारी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1852 हे० वन भूमि "मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड मिथिलांचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीतामढ़ी के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति।

प्रसंग : विभागीय संकल्प संख्या वन भूमि 24 / 2012–474 (ई०) दिनांक 30.08.2012 एवं वन भूमि 24 / 2012 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 15.02.2018 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 906 (ई०) दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति संसूचित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

तद्आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक व.स. / 124 / 2018–592 दिनांक 07.07.2020 द्वारा विषयाधीन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में लगाये गये शर्तों के विरूद्ध महाप्रबंधक, पीएमटीएल, पावरग्रिड मिथिलांचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3317 दिनांक 06.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है–

क्रम सं०	Stage-I में अधिरोपित शर्त्त	अनुपालन स्थिति
1	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वैधानिक स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	अपयोजित होने वाली 0.1852 हे० वन भूमि का NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर 6.26 लाख रू० प्रति हे० की दर पर कुल रू० 1,15,935 /– मात्र की राशि जमा की जायेगी।	NPV मद की कुल राशि रू० 1,15,935 /– (रू० एक लाख पन्द्रह हजार नौ सौ पैंतीस) मात्र को Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry Web-Site पर प्रदर्शित है।

3	यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है तथापि हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित प्रयोक्ता एजेंसी रू० 7,29,862/– मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।	क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रू० 7,29,862/– (रू० सात लाख उनतीस हजार आठ सौ बासठ) मात्र को Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry Web-Site पर प्रदर्शित है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि (रू० 1,15,935 + 7,29,862) रू० 8,45,797/– (रूपये आठ लाख पैतालीस हजार सात सौ सनतानवें) मात्र को मंत्रालय के बेव–साईट **parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।**	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद कि कुल राशि रू0 8,45,797/- (रू० आठ लाख पैतालीस हजार सात सौ सनतानवें) मात्र को Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry Web-Site पर प्रदर्शित है जिसका UTR NO. SBIN320228281016 दिनांक 14.08.2020
5	उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जायेगी।	राशियाँ Ministry Web-Site पर प्रदर्शित कर दी गयी है।
6	प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि NPV के दर मे वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
7	आवश्यकतानुसार वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
8	1 हे० वन भूमि पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा योजना तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी से की जायेगी।	बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण मद की कुल राशि रू० 26,47,973/– (रू० छब्बीस लाख सैतालीस हजार नौ सौ तिहतर) मात्र को Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry Web-Site पर प्रदर्शित है जिसका UTR NO. SBIN420311384313 दिनांक 06.11.20
9	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में एक भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में एक भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
10	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेगा और न ही कचड़ें आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।

फोन नं०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

11	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
12	वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
13	वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
14	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्त्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
15	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
16	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
17	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय–समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
18	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
19	उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में स्टेट कॉडिनेटर बिहार, पटना) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।

विभागीय पत्रांक वन भूमि 24/2012 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि सामान्य स्वीकृति के तहत चिन्हित कार्यों हेतु वन भूमि अपयोजन के मामलों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा अपयोजन आदेश निर्गत किया जायेगा।

तदआलोक में महाप्रबंधक, पीएमटीएल, पावरग्रिड मिथिलांचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय ताकि नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-II की स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16.12.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०—08986153143

ई—मेल apccfcampa.bih@gmail.com

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Motihari/ Forest Division- Motihari
3	Name of User Agency nature of proposal	Manager (TBCB) Sitamarhi
4	Extent of forest area involved	0.1852 ha
5	Whether Original, or extension	Original
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA
7	Date of 1st stage Clearance	07.07.2020
8	**Extent of CAMPA charges head wise viz.**	
	a. Compensatory Afforestation	7,29,862/-
	b. Additional CA (Dwarf Species)	26,43,973/-
	C. Penal CA	
	d. Catchment Area Treatment	
	e. Wildlife Management Plan	
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	
	g. Net present Value	1,15,935/-
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	(see table below)
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 14.08.2020 and 06.11.2020
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 14.08.2020 and 06.11.2020
12	Any other remarks	

S.No	MODE Remtt.	UTR No. and Dated	Amount	Head
1	RTGS	SBIN320228281016 dt. 14.08.2020	1,15,935/-	NPV
			7,29,862/-	CA
2	RTGS	SBIN420311384313 dt. 06.11.2020	26,43,973/-	Dwarf Species
		TOTAL	34,89,770/-	

18.12.2020

Signature of APCCF (CAMPA),
-Cum-Nodal Officer (FC)

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com